

प्रकार,

आजीव मासुली,  
उप तहसील,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

तेन्दुली,  
तेन्दुली बोर्ड आफ तेन्दुली एजुकेशन,  
2x19 नया विहार,  
नई दिल्ली ।

विषय 1131 अनुमान

संज्ञांक: दिनांक: 27 अगस्त, 1992.

विषय :- समन्वय पब्लिक स्कूल, तारकुल रोड, मुजफ्फरनगर को  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कठने का निर्देश हुआ है कि समन्वय  
पब्लिक स्कूल, तारकुल रोड, मुजफ्फरनगर को तेन्दुली बोर्ड आफ तेन्दुली  
एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को  
भित्तवितिगत प्रतिकर्षकों के अधीन आवरण नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संवीकृत सीताबदी का समय समय पर नवीनीकरण  
कराया जाएगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित  
एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसुचित जाति/अनु-  
सुचित जाति के संघर्षी बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और  
उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघर्षित  
विद्यार्थियों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से  
रहित नहीं लिया जाएगा ।
- 141 संस्था के द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं  
की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता तेन्दुली बोर्ड  
आफ तेन्दुली एजुकेशन, नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इंडियन  
स्कूल सर्विसेज एजुकेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है  
तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि  
से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त  
समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणार्थक व्यक्तियों को राष्ट्रीय  
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के व्यक्तियों को अनुसूच्य

....21

For Moti Ram Gopi Chand Charitable Trust

*[Signature]*

Chairman

*[Signature]*  
Chairman  
M.G. Public School  
Circular Road, Muzaffarnagar

*[Signature]*

Principal  
M.G. Public School  
Circular Road, Muzaffarnagar

वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तत्वावधि प्राप्त खातातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैर्या उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/वर्षिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के वृत्तानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या बजट परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

~~उक्त शर्तों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र/वर्षिकाओं में रखा जायेगा ।~~

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई छूट या विरक्ति करती है तब राज्य सरकार द्वारा उक्त उनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भाष्यीय,

। आदेश योजनी ।  
उप सचिव ।

संख्या-2329/111/151131/92-41261/1992.

प्रतिनिधि विन्मोक्षित को तृपनाथ एवं आययक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 11। शिक्षा निदेशक, उ०गु०, सिविल हायालय, 18 पार्स रोड, लखनऊ ।
- 12। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वैरठ ।
- 13। उच्च शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
- 14। निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उ०गु०, लखनऊ ।
- 15। प्रबन्धक, एम०बी० पब्लिक स्कूल, तरकुनार रोड, मुजफ्फरनगर ।

आदेश से,  
। आदेश योजनी ।  
उप सचिव ।

For Moti Ram Gopi Chand Charitable Trust  
Chairman

*M. Kanoy*  
Chairman  
M.G. Public School  
Circular Road, Muzaffarnagar

*Frankie Raj*  
Principal  
M.G. Public School  
Circular Road, Muzaffarnagar